अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2020 (RCMS 2020/00111)
श्री सुखदेव पुत्र सतनाम चन्द वीपीओ मानेवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 6378385043) बनाम तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सुखदेव स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2020 को प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने निःशुल्क वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुखदेव ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी। (आवेदन पत्र अस्पष्ट है।)

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ने अपने पत्रांक रीडर/2020/153 दिनांक 15.05.2020 से अपीलार्थी को मूल प्रार्थना पत्र थाना अधिकारी, पुलिस थाना, जैतसर को स्थानान्तरित किया है और इसी प्रति अपीलार्थी को भी है। उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ ने अपने पत्रांक रीडर/2020/210 दिनांक 20.08.2020 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की अपील संख्या 64/2020 सुखदेव सिंह बनाम तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ में निवेदन निम्न प्रकार है :

1. यह कि आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) में दिनांक 4 फरवरी 2020 को जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया है।
2. यह कि आवेदक द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना जैतसर द्वारा की गई कार्यवही की सूचनाएं चाही गई थी जिसका इस कार्यालय/विभाग से सम्बन्ध नही है।
3. यह कि आवेदन पत्र की बिन्दु संख्या 2 में अंकित इंतकाल के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में आवेदक को कार्यालय पत्रांक भू.अ./1530 दिनांक 03.04.2019 से सूचित कर दिया गया है।
4. यह कि आवेदक सुखदेव द्वारा पुलिस थाना जैतसर में दी गई परिवाद पर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होने पर व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम का सहारा लिया है।
5. यह कि पटवारी हलका द्वारा की गई रिपोर्ट मूल ही अनुसंधान हेतु थानाधिकारी, जैतसर को उपलब्ध कर दी गई थी जिसकी सूचना आवेदक को पत्रांक 1530 दिनांक 03.04.2019 से देते हुए थानाधिकारी, जैतसर से दिनांक 03.04.2019 से देते हुए थानाधिकारी, जैतसर से नकल प्राप्त कर लेवें, दे दी गई थी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. यह कि आवेदन द्वारा अपील में तहसीलदार, सूरतगढ को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है वह गलत है क्योंके मूल प्रार्थना पत्र जिला पुलिस अधीनक्षक लोक सूचना अधिकारी है तथा दी जाने वाली सूचनाएं थानाधिकारी पुलिस थाना जैतसर से सम्बन्ध रखती है।

अतः अपील में प्रतिवादी पक्ष इस विभाग के विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील पेश की है वह तथ्यों से परे है, इसी अनुसार अपील निरस्त किये जाने योग्य है, रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

-sd-
तहसीलदार(भू.अ.)
सूरतगढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा इस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है और तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने पत्रांक रीडर/2020/153 दिनांक 15.05.2020 से अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र थानाधिकारी, जैतसर को स्थानान्तरित किया है इसलिए अपीलार्थी को थानाधिकारी, जैतसर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचनाएं प्राप्त करनी चाहिए। थानाधिकारी जैतसर के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी यदि थानाधिकारी, जैतसर द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध करवाई गई की सूचनाओं से असंतुष्ट है तो उसे जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए। अपीलार्थी की अपील यहां से खारिज किये जाने योग्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार,, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर